भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 919

12.12.2022 को उत्तर के लिए

शवदाह गृहों हेतु दिशानिर्देश

919. श्री श्याम सिंह यादव :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि शवदाह गृह भी वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारक है;

(ख) यदि हां, तो इसे कम करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विशेषकर शहरी क्षेत्रों में शवदाह गृहों के लिए कोई प्रवर्तनीय मानक अथवा दिशानिर्देश विकसित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (घ) वर्ष 2018-2022 तक की उपलब्ध स्रोत संविभाजन अध्ययन रिपोर्टों के अनुसार, शवदाह गृहों से वायु प्रदूषण में ऐसा कोई भी योगदान नहीं पाया गया है। शवदाह गृहों के लिए पर्यावरण प्रबंधन के संबंध में दिशानिर्देशों को तैयार करने का कार्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शुरू किया गया है।

****